न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 2/2019 तारीख रजू 8.01.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. विनोद कुमार जैन पुत्र श्री राम नारायण जैन निवासी चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर प्रोपराईटर मैसर्स विनोद किराना स्टोर, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. पारस चन्द जैन पुत्र लक्ष्मी चन्द मोदी निवासी छीतर चौराहा पटवा गली शहर सवाई माधोपुर राजस्थान प्रोपराईटर मैसर्स गणपति टेडिंग कम्पनी छीतर चौराहा पटवा गली शहर सवाई माधोपुर राजस्थान
3. दिनेश सेन पुत्र श्री रनजीत सेन प्लॉट नं0 99 जी 2 नारायण धाम 2 शिव नगर ए निवारू रोड झोटवाडा जयपुर नोमिनी पताका इण्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड शेखावाटी कॉम्पलेक्स 301 एवं 312, 28बी स्टेशन रोड जयपुर राजस्थान 302006
4. भगवान कृष्णानी 111/57 विजय पथ अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर अल्टरनेटिव नोमिनी पताका इण्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड शेखावाटी कॉम्पलेक्स 301 एवं 312, 28बी स्टेशन रोड जयपुर राजस्थान 302006
5. मैसर्स पताका इण्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड शेखावाटी कॉम्पलेक्स 301 एवं 312, 28बी स्टेशन रोड जयपुर राजस्थान 302006
6. मैसर्स पताका इण्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड 97 पार्क स्ट्रीट कोलकाता 700016

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 28/07/2023

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 19.02.2018 को समय 02.00 पी.एम. पर मैसर्स विनोद कुमार जैन पुत्र श्री राम नारायण जैन, मैसर्स विनोद किराना स्टोर चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहॉ पर विनोद कुमार जैन पुत्र श्री राम नारायण जैन निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर मैसर्स विनोद किराना स्टोर चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर उपस्थित था। जिसको आवेदक द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर फर्म

न्याय निर्णयन अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:54 IST
Reason: SelfAttested

का खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति पेश की। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **चाय पताका 250 ग्राम** के लगभग 50 पैकेट दुकान में रखे मिले, के अमानक स्तर/मिसब्राण्ड होने का शक होने पर नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **चाय पताका 250 ग्राम** के 8 पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 500/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीद शुदा खाद्य पदार्थ **चाय पताका 250 ग्राम** के दो दो पैकेट चार डिब्बो में डालकर अच्छी तरह से बन्द किया तथा आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **एच–1379** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहॉ जिस पर गवाहों एवं विक्रेता विनोद कुमार जैन पुत्र श्री राम नारायण जैन ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में गजानंद लोधा वार्ड बॉय द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियॉ के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गईं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक/एफएसएसए/2018/1707 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **चाय पताका 250 ग्राम** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 148/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/254 दिनांक 22.03.2018 द्वारा मिसब्राण्डेड **Misbranded** पाया गया।

यह कि विनोद कुमार जैन द्वारा मौके पर गणपति ट्रेडिंग कम्पनी शहर सवाई माधोपुर का खरीद बिल प्रस्तुत किया जिसके आधार पर गणपति ट्रेडिंग कम्पनी शहर सवाई माधोपुर को वास्ते खाद्य रजिस्ट्रेशन परिचय पत्र खरीद बिल पत्र लिखा जिस पर गणपति ट्रेडिंग कम्पनी शहर सवाई माधोपुर द्वारा पताका इण्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड का खरीद बिल एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये। पताका इण्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड को वास्ते खाद्य लाईसेन्स, जीएसटी पत्र भागीदार एवं नोमिनी के बारे में जानकारी हेतु पत्र लिखा जिस पर पताका इण्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:54 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तगण ने मिसब्राण्डेड **Misbranded** खाद्य पदार्थ **चाय पताका 250 ग्राम** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकतम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वंय एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ **चाय पताका 250 ग्राम** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(10) की धारा का उल्लघंन किये जाने का बयान किया गया है परन्तु अभियुक्तगण ने निवेदन किया है कि अभियुक्तगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) में कोई भी अपराध नहीं बनता है क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 211 के विनियम 2.2.2(10) का सारभूत अनुपालन किया गया है एवं वांछित जानकारी लेवल पर मुद्रित की गई थी इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई है। सैंपल ली गई वस्तु में जो वास्तविक घोषणा पायी गयी थी अर्थात "**WITHIN EIGHTEEN MONTHS FROM THE DATE OF PACKAGING**" उससे अधिक सूचित करता है जो कि उत्पाद की विशुद्धता के बारे में खरीदने वालों को सूचित किया जाना आवश्यक था "तिथि के" शब्द का प्रयोग मात्र एक अधिशेष समय, उत्तर दे रहे प्रतिवादी को दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लायेगा। किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है। उक्त धारा का किसी भी प्रकार से उल्लघंन नहीं किया गया है। अतः न्याय निर्णयन आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 148/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/254 दिनांक 22.03.2018 के अनुसार विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(10) की धारा का उल्लघंन का दोषी माना गया है जबकि अभियुक्तगण द्वारा बहस में तर्क दिया गया कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) का सारवान अनुपालन किया है एवं वांछित जानकारी लेवल पर मुद्रित की गई थी इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई है। सैंपल ली गई वस्तु में जो वास्तविक घोषणा पायी गयी थी अर्थात "**WITHIN EIGHTEEN MONTHS FROM THE**

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:54 IST
Reason: SelfAttested

DATE OF PACKAGING" उससे अधिक सूचित करता है जो कि उत्पाद की विशुद्धता के बारे में खरीदने वालों को सूचित किया जाना आवश्यक था "तिथि के" शब्द का प्रयोग मात्र एक अधिशेष समय, उत्तर दे रहे प्रतिवादी को दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लायेगा। किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में अभियुक्त द्वारा भिन्न–भिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों (**नेहरू दासन बनाम फूड इंस्पेक्टर, मदुरई कोरपोरेशन, मदुरई–2010–1 एफ.ए.सी. 49, मद्रास उच्च न्यायालय , ए. राजा सिंह एवं अन्य बनाम द फूड इंस्पेक्टर, 2008(1) एफ.ए.सी. 172 , टी. प्रभू एण्ड एनोदर बनाम द स्टेट 2007 (1) एफ.ए.सी. 314, मद्रास उच्च न्यायालय, हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड एण्ड अदर्स बनाम फूड इंस्पेक्टर, 2007 (1) एफ.ए.सी. 299, मद्रास उच्च न्यायालय , रामबाबू रस्तोगी बनाम राज्य 2012(1) एफ.ए.सी. 56, दिल्ली उच्च न्यायालय , ओम प्रकाश नटानी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, आदि**) का भी हवाला दिया गया है जिनमें उक्त बिन्दु को निर्धारण किया गया है और पूर्व के निर्णयों/आदेशों को निरस्त किया गया है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) के उल्लंघन के आरोप में मेरी राय में संदेह का लाभ अप्रार्थीगण को दिया जाना उचित होगा क्योंकि अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक मात्र शिकायत शब्द "**की तिथि**" से थी जोकि याचिकाकर्ता द्वारा लेवल पर जोडा गया था यहां तक कि और अन्यथा, लेवल की घोषणा का उद्देश्य यह था कि ग्राहक को वस्तु खरीदते समय इस बात की जानकारी हो कि जिस वस्तु को वह खरीद रहा है वह वस्तु प्रयोग किये जाने योग्य है और किस समय तक उस वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। इस कारण उपरोक्त प्रस्तुतियों और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग और लेवलिंग विनियम के विनियम 2.2.2(10) के अन्तर्गत कोई अपराध मेरी राय में कारित नहीं किया है।

उक्त विवेचन के आधार खाद्य विश्लेषक कोटा की जॉच रिपोर्ट संख्या 148/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/254 दिनांक 22.03.2018 के अनुसार अभियुक्त के प्रतिष्ठान पर से लिया गया सेम्पल **चाय पताका 250 ग्राम** न तो मिस ब्राण्ड पाया गया है और ना हीं सब स्टेण्डर्ड। अतः मेरी राय में प्रकरण निरस्त योग्य पाया जाता है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:54 IST
Reason: SelfAttested